International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 03-03-2026, Accepted: 03-04-2026, Published: 18-04-2026
Volume 12, Issue 2, 2026, Page No. 74-76

नई शिक्षा नीति और हिंदी: एक गवेषणात्मक अध्ययन

डॉ. शिखा माहेश्वरी
असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी के लिए एक सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक पुनर्जागरण का अवसर लेकर आई है। यह नीति हिंदी को केवल संपर्क भाषा ही नहीं बल्कि ज्ञान–विज्ञान, नवाचार और शिक्षण की भाषा के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यद्यपि चुनौतियाँ अनेक हैं, परंतु संगठित प्रयास, संस्थागत सहयोग और सामाजिक चेतना के माध्यम से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है।

मूल शब्दः सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भाषाई स्वाभिमान, आत्मबोध, रचनात्मकता, संप्रेषण, आदि

हिंदी भाषा भारतीय समाज की सांस्कृतिक आत्मा, सामाजिक संवाद और अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, अपितु भारत की सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतिनिधि भी है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात यह अपेक्षा की गई थी कि हिंदी शिक्षा, प्रशासन और नवाचार की प्रमुख भाषा के रूप में उभरेगी। किंतु वास्तविकता यह रही कि अंग्रेजी का प्रभुत्व और हिंदी के प्रति सामाजिक हीन भावना के कारण हिंदी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका जिसकी वह अधिकारी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस ऐतिहासिक विसंगति को दूर करने का एक प्रयास है। यह नीति भाषाई न्याय. समावेशी शिक्षा तथा मातृभाषा में अध्ययन–अध्यापन की महत्ता को स्वीकार करती है। हिंदी भाषी समाज के लिए यह नीति सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भाषाई स्वाभिमान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषाई दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भाषाई दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। यह भाषाओं को केवल संप्रेषण का उपकरण न मानकर, मानव मस्तिष्क के विकास, आत्मबोध, रचनात्मकता और चिंतन का माध्यम स्वीकार करती है। नई शिक्षा नीति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि मातृभाषा में दी गई शिक्षा, बच्चों की बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति, तार्किक सोच को अधिक प्रभावी रूप में विकसित करती है। इस अवधारणा के आधार पर नीति में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा(कक्षा पाँच तक अथवा यदि संभव हो तो कक्षा आठ तक) मातृभाषा, स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ, सहज, प्रभावी हो सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर देती है। यह कक्षा 5 (संभवतः 8) तक प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने, त्रि–भाषा सूत्र (जीतमम.संदहनंहम वितउनसं) को अपनाने, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाने और संस्कृत सहित शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने का दृष्टिकोण रखती है। इसके अंतर्गत मातृभाषा को प्राथमिकता प्रदान की गई है। अतः प्राथमिक शिक्षा (कम से कम कक्षा 5 तक) शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। त्रि–भाषा सूत्र (जीतमम. संदहनंहम थ्वतउनसं) पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 तीन भाषाओं के सीखने पर जोर देती है, जिसमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। साथ ही बहुभाषावाद को प्रोत्साहन दिया गया है। शिक्षा में बहुभाषावाद (उनसजपचसम संदहनंहमे) को एक भाषाई और संज्ञानात्मक संपत्ति के रूप में देखा गया है। संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाएं सीखने पर जोर दिया गया है। सभी स्तरों पर संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं (जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया आदि) के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। तकनीकी और उच्च शिक्षा हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं में भी करवाई जाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। विदेशी भाषाएँ भी सीखी जाए। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाएं (जैसे–कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन आदि) भी सीखने का विकल्प होगा। साथ ही, भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। इस प्रकार से सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ होंगे। मातृभाषा में शिक्षा से छात्र अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। अध्ययन में सुधार की अपेक्षा की जा सकेगी। मातृभाषा में समझने की क्षमता बेहतर होती है, जिससे ड्रॉप आउट दर कम होगी। समानता का भाव जागृत होगा। यह नीति अमीर–गरीब, ग्रामीण–शहरी के बीच भाषाई अंतर को कम करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतिम लक्ष्य छात्रों को अपनी मातृभाषा के साथ–साथ अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में निपुण बनाकर उन्हें 21वीं सदी के लिए तैयार करना है।

हिंदी और त्रि–भाषा सूत्र एक विश्लेषणात्मक दृष्टि

त्रि–भाषा सूत्र भारतीय भाषाई नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुनः बल प्रदान किया गया है। इसके अनुसार छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान हिंदी को गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों में पहुँच दिलाने का अवसर प्रदान करता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती नीतियों में त्रि–भाषा सूत्र व्यवहार में पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। इसकी असफलता के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षेत्रीय असंतुलन और भाषाई असहमति जैसे कारण रहे हैं। अतः वर्तमान समय में नीति के क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक निष्पक्षता, पारदर्शिता, व्यावहारिक लचीलापन आवश्यक है ताकि यह हिंदी के प्रचार–प्रसार का माध्यम बने, विवाद का नहीं। त्रि–भाषा सूत्र तीन भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। हालांकि, संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। त्रि–भाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय

शिक्षा संबंधी सुझावों के लिये गठित राधाकृष्णन आयोग (1948–49) की रिपोर्ट से ही प्रारंभ हो गई थी। जिसमें तीन भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया गया था। आयोग का कहना था कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए। इसके बाद वर्ष 1955 में डॉ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिया और अंग्रेजी व किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में त्रि–भाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया परंतु इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका।

त्रि–भाषा सूत्र क्या है? इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रथम भाषा, यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। द्वितीय भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर–हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। तृतीय भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर–हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहु–भाषा के उपयोग और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। त्रि–भाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर–हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था, संभवत हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के आलावा दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से कोई एक। गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ अध्ययन किया जाना शामिल था।

उच्च शिक्षा में हिंदीरू संभावनाएँ और आवश्यकताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह उच्च शिक्षा को केवल अंग्रेजी भाषा तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं है। इसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, प्रबंधन (मैनेजमेंट), आदि क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। इस विचार का क्रियान्वयन हिंदी भाषियों के लिए शैक्षिक समावेशन और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। हिंदी में उच्च शिक्षा की व्यवस्था से ग्रामीण, वंचित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ प्राप्त होगा, जो अंग्रेजी भाषा की बाधा के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तथापि, इसके लिए शब्दावली विकास, अनुवाद कार्य, पाठ्य पुस्तकों की रचना एवं शिक्षक प्रशिक्षण जैसी पूर्व तैयारियाँ अति आवश्यक हैं।

भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग ष्जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हैष् को उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा।[1]

अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिये और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने के शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा।

अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार, उक्त कार्य के लिये ष्अधिकृतष् भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 350। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करता है।[2]

अनुच्छेद 350ठ भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगी, यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबंधित राज्य/राज्यों की सरकारों को भेज सकता है।

चुनौतियाँ

1. दक्षिण भारत में व्यापक विरोध

दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व हो गई थी। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ आई, जिन्होंने राज्य में हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अप्रैल 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू कर दिया गया। तमिलों में इस निर्णय के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दिखी और जल्द ही इस विरोध ने एक जनांदोलन का रूप ले लिया। अन्नादुरई ने इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने का उपकरण बना लिया। यह आंदोलन लगभग दो वर्ष तक चला।[3]

2. ब्रिटिश शासन ने समाप्त की हिंदी की अनिवार्यता

वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और फिर ब्रिटिश शासन ने सरकार के फैसले को वापस लेते हुए हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तब यह आंदोलन थम अवश्य गया, मगर यहाँ से राज्य में हिंदी विरोधी राजनीति का जो बीजारोपण हुआ, जो आगे फलता–फूलता ही गया।

3. तमिलनाडु के लिए राजनीतिक मुद्दा

वर्ष 1967 में इस हिंदी विरोधी आंदोलन पर चढ़कर एक राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (क्तंअपकं डनददमजतं ज्ञींहंउ. क्डज्ञ) तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई। इसी के साथ हिंदी विरोध दक्षिण, खासकर तमिलनाडु की राजनीति का एक आवश्यक उपकरण बन गया जो आज भी यथावत कायम है।[4]

4. हिंदी–भाषी राज्य भी उत्तरदायी

दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के विरोध का अवसर देने के लिये काफी हद तक हिंदी भाषी राज्यों के लोगों का दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उदासीन रवैया भी जिम्मेदार है। हिंदी भाषी राज्यों में तमिल–तेलुगू जैसी भाषाओं को सीखने–सिखाने के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता है, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों में भी हिंदी भाषा के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं हैं।

संस्थागत सहयोग और भावी दिशा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन में भाषा संबंधी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं;

1. **केंद्रीय हिंदी निदेशालयरू** पाठ्य सामग्री, शब्दकोश,, शिक्षण सामग्री का निर्माण।
2. **केंद्रीय हिंदी संस्थानरू** हिंदी शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं भाषा शिक्षण का कार्यक्रम।
3. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोगरू** वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण।
4. **भारतीय भाषा संस्थान**रू अनुवाद, शोध, बहुभाषिक पाठ्यक्रम और तकनीकी संसाधनों का विकास।[5]

इन संस्थानों की क्रियाशीलता सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज की सहभागिता हिंदी के भविष्य को आकर देने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार त्रि–भाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। हालांकि, यह भारत की जातीय विविधता को एकीकृत करने के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी भाषा नीति के साथ न केवल शिक्षा मानक स्तरों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि त्रि–भाषा सूत्र को अपनाए बिना राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा दिया है। इसलिए त्रि–भाषा सूत्र पर व्यापक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी भाषा को उसके यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए और उसे 21 वी सदी के ज्ञान की भाषा के रूप में विकसित करने हेतु ठोस, सशक्त और समर्पित कदम उठाए जाएँ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पाण्डेय, रनशकल, 1997, नई शिक्षा नीति, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ.25
2. सिंह, रीना,2021, नई शिक्षा नीति 2020, एसोसिएटेड पब्लिशिंग हाउस, आगरा, पृ.47
3. अग्रवाल, जे. सी., 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ.62
4. सिन्हा, मौसम, सक्सेना, वर्षा, 2022,नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिवांक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.35
5. मिश्र, श्याम नारायण, 2021, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कार्तिक प्रकाशन, राजस्थान, पृ.59